



**FIROZABAD POLICE**

“ सुरक्षा आपकी, संकल्प हमारा ”



**सराहनीय कार्य दिनांक 29-01-2023 जनपद फिरोजाबाद ।**

**थाना रसूलपुर पुलिस टीम द्वारा चैकिंग संदिग्ध व्यक्ति / वाहन के दौरान मुखबिर की सूचना पर 03 शातिर वाहन चोरों को किया गया गिरफ्तार, कब्जे से एक चोरी की कार बरामद ।**

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक फिरोजाबाद द्वारा जनपद में अपराध पर अंकुश लगाने व अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत अपर पुलिस अधीक्षक नगर के कुशल निर्देशन व क्षेत्राधिकारी नगर के निकट पर्यवेक्षण में थाना रसूलपुर पुलिस टीम द्वारा चैकिंग संदिग्ध व्यक्ति / वाहन के दौरान दिनांक-28/1/23 को मुखबिर की सूचना पर दुर्गेश नगर सर्विस रोड थाना रसूलपुर से 03 अभियुक्तगण 1- हेमन्त कुमार उर्फ बन्टी, 2. अमन राठौर, 3. सुनील कुमार उर्फ खरिया को चोरी की टाटा इण्डिको कार व 04 वाहनों की नम्बर प्लेट के साथ गिरफ्तार किया गया है । गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना रसूलपुर पर अभियुक्तगण के विरुद्ध मु0अ0सं0-51/23 धारा 41/102 सीआरपीसी व 414 भादवि पंजीकृत कर मा0न्यायालय के समक्ष भेजा जा रहा है ।

**पूछताछ का विवरण:-** पूछताछ के क्रम में तीनों अभियुक्तगणों द्वारा बताया गया कि यह कार हम तीनों ने मिलकर दिनांक 23.1.2023 को सिकन्दरा से चोरी की थी जिसका चेसिस नम्बर काट कर हटा दिया था तथा गाडी की नम्बर प्लेटों को हटाकर गाडी की डिग्गी रख दिया था । हम तीनों लोग मिलकर यहाँ जीशान कबाडे वाले के यहाँ पर बेचने के लिए आये थे तो जीशान ने यह गाडी 41000/-रुपये में तय की थी । जीशान ने उस दिन हमें 6 हजार रुपये दे दिये थे। जो हमने आपस में बांट लिये थे जो रुपये हमसे बरामद हुए हैं ये वही रुपये हैं । बाकी शेष रुपये हम लोगो ने खर्च कर लिये हैं । जीशान से बचे हुए रुपये 35000 रुपये लेने के लिए आये थे कि आप लोगो ने पकड लिया, जो व्यक्ति गाडी से उतर कर भागा है वही जीशान है ।

अभियुक्त सुनील कुमार उपरोक्त द्वारा बताया गया कि आज जीशान मेरे घर पर गया था और मेरे घर वालो को हमारे बचे हुए 35000 रुपयो के बदले 25000 रुपये दे रहा था तो मेरे घर वालो ने मुझसे फोन पर बात की तो मैंने पूरे 35000 रुपये देने के लिए कहा तो जिस पर जीशान की मेरे घर वालो से कहा सुनी होने लगी थी तो मेरे घर वालों ने 112 नम्बर पर कॉल कर दी थी । तब मैं और मेरे दोनों साथी जीशान के कबाडे की दुकान पर पूरे रुपये लेने के लिए आये थे । जीशान रुपयों की व्यवस्था कर ही रहा था कि आप लोग यहां आकर हम लोगो को पकड लिया ।

अभियुक्त गण के कब्जे से बरामद कार टाटा इन्डिको को चैक किया गया तो गाडी के आगे पीछे नम्बर प्लेट नहीं है तथा चेसिस नम्बर काट कर हटाया गया है तथा इन्जन नम्बर 475IDT14AWYP03325 है गाडी की डिग्गी खोलकर चैक किया गया तो टाटा इन्डिको कार की डिग्गी में 4 अदद नम्बर प्लेट मिली जिनमे से दो नम्बर प्लेटो पर UP83 Z2977 अंकित है तथा दो नम्बर प्लेटो पर UP83 T8375 अंकित है जिसमे से एक नम्बर प्लेट पर लाल रंग से जय माता दी हेम लिखा है। बरामद नम्बर प्लेटो के बारे में बताया कि दो नम्बर प्लेट तो इसी कार की है तथा दो नम्बर

प्लेटे एक टाटा एस गाडी की है जिसे हम तीनों ने मिलकर रसूलपुर क्षेत्र रेलवे लाइन के पास से रात में करीब 4 महीने पहले चोरी किया था। जिसको हम लोगो ने अगले दिन रात में फतेहाबाद रोड पर एक अज्ञात व्यक्ति को 20000 रुपये में बेच दिया तथा उन रूपयो को हम लोगो ने आपस में बांट लिया था जो हमसे खर्च हो गये हैं तथा उस टाटा एस (छोटा हाथी) गाडी संख्या UP83 T8375 की नम्बर प्लेटो को हमने खोल कर रख लिया था जिससे कि हम जब भी कोई गाडी चोरी करेगे तो उसकी नम्बर प्लेटो को चोरी की गई गाडी की नम्बर प्लेटो से बदल देगे लेकिन इस गाडी में हमने यह नम्बर प्लेट बदलने के लिए रखी थी टाटा कार की नम्बर प्लेट को भी खोल कर इसी कार की डिग्गी में रख दिया था लेकिन हमें नम्बर प्लेट बदले का समय नहीं मिल पाया था। टाटा एस (छोटा हाथी) गाडी संख्या UP83 T8375 के सम्बन्ध में थाना रसूलपुर पर मु0अ0स0-424/2022 धारा 379 भा0द0वि पंजीकृत हैं।

### नाम पता गिरफ्तारशुदा अभियुक्तगण –

1. हेमन्त कुमार उर्फ बन्टी पुत्र राम किशन निवासी नाहटोली थाना जेतपुर जिला आगरा।
2. अमन राठौर पुत्र विष्णु राठौर निवासी बी 62 भगवान नगर बलकेश्वर दयाल बाग थाना न्यू आगरा जिला आगरा।
3. सुनील कुमार उर्फ खरिया पुत्र अशोक कुमार निवासी मधुबन एन्क्लेव दयाल बाग थाना न्यू आगरा जिला आगरा।

### बरामदगी का विवरण:-

1. एक कार टाटा इन्डिको बिना नम्बर प्लेट, चेसिस नम्बर काट कर हटाया हुआ, इन्जन नम्बर 475IDT14AWYP03325 अंकित है।
2. 04 अदद नम्बर प्लेट (जिन पर नं0- UP83 Z2977 अंकित है, दूसरी पर नं0- UP83 T8375 तथा एक पर जय माता दी लाल रंग से लिखा है।)
3. 1300 रू0
4. 04 अदद रस्सी

### पंजीकृत अभियोग:-

1. मु0अ0सं0—424/22 धारा 379/411 भादवि थाना रसूलपुर जिला फिरोजाबाद।
2. मु0अ0सं0-51/23 धारा-41/102 सीआरपीसी व 414 भादवि थाना रसूलपुर।

### गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री कमलेश सिंह थाना रसूलपुर जनपद फिरोजाबाद।
2. उ0नि0 श्री सुनील कुमार थाना रसूलपुर जिला फिरोजाबाद।
3. का0 306 रौकी तोमर थाना रसूलपुर जनपद फिरोजाबाद।
4. कां0 958 राहुल कुमार थाना रसूलपुर जनपद फिरोजाबाद।